## न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## (पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 115/2019 दायरा दिनांक : 26.08.2019

**उनवान**

हेमराज पुत्र श्री कंवरलाल जाति धाकड़ उम्र 47 वर्ष निवासी दीलौदा तहसील बारां जिला बारां राजस्थान

.... अपीलांट

**बनाम**

1. मृतक कंवरलाल पुत्र श्री देवलाल जाति धाकड

1/1. पार्वती पुत्री कंवरलाल

1/2. निर्मला पुत्री कंवरलाल

1/3 रामनाथी बेवा कंवरलाल

2. रामप्रकाश उर्फ प्रकाश पुत्र श्री कंवरलाल आयु 54 वर्ष जाति धाकड़ निवासीगण दीलौदा तहसील व जिला बारां, राज0

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री धर्मेन्द्र सिंह चौधरी अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री बृजराज किशोर शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

**निर्णय** दिनांक : 27.01.2021

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या 15/16 निर्णय व डिकी दिनांक 11.07.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट ने उक्त उनवान का वाद अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया था। उक्त वाद के साथ आवेदन 212 आर.टी.एक्ट का प्रस्तुत किया था जिसमे दिनांक 06.10.2016 को अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी की गयी थी कि अप्रार्थीगण/रेस्पो0 विवादित आराजी वाके ग्राम दीलौदा तहसील बारां की आराजी खाता सं0 7 कुल खसरा नं0 5 किता रकबा 11.56 हेक्टर एवं खाता सं0 159 के कुल खसरा नम्बर 6 किता रकबा 3.21 हेक्टर भूमि को जवाब पेश होने तक रहन बेचान नही करे उक्त आदेश प्रत्येक पेशी पर बढाया जाता रहा है लेकिन दिनांक 11.07.2019 को अप्रार्थीगण/रेस्पो0 द्वारा जवाब पेश करने के बाद दिनांक 06.10.16 को जारी किये गये आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समाप्त कर दिया गया है जो की विधि विद्धध होने से काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन प्रार्थना पत्र से अप्रार्थी/रेस्पो0 कम की मृत्यु हो जाने पर रेस्पो0 कम 1/1 ता0 1/3 व रेस्पो0 कम 2 राजस्व रिकार्ड मे नामान्तकरण दर्ज करवाकर अपीलांट को बाहमी बटवारे मे प्राप्त आराजी पर कब्जा करना चाहते है तथा विवादित आराजी को रहन बेवान करने को तुले हुये है एवं रेस्पो0 ने अपीलांट/प्रार्थी की अनुपस्थिति मे जवाब पेश कर जारी अन्तरिम निषेधाज्ञा दिनांक 06.10.2016 को समाप्त करवा दिया है एवं 24.07.2019 वास्ते बहस मे तारीख नियत कर वाली है एवं अपीलांट नियत तारीख को बहस अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुआ तो जानकारी मे आया कि रेस्पो0 ने नियत दिनांक 24.07.2019 के स्थान पर षडयंत्र पूर्वक तारीख बदलाकर 07.08.2019 नियत करवादी है तथा स्थगन समाप्ती की आदेशिका पटवारी को पेश कर मृतक रेस्पो0 कंवरलाल का फोती नामान्तकरण खुलवाने पर तुले हुये है तथा फोती

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

नामान्तकरण खुलवाकर विवादित आराजी को रहन बेचान खुर्द बुर्द करने की अपीलांट को धमकी दे रहे है। अपीलांट बाहमी बटवारा तारीखी 14.05. 2000 व 04.08.2007 के मुताबिक अपने हिस्से की प्राप्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा रेस्पो0 अपीलांट को उसकी कब्जे काश्त की आराजी से बेदखल कर विवादित आराजियात को बेचान करने व उसके संपत्ति के अधिकारी से बेदखल करने की धमकियां दे रहे है जिसका उन्हे कोई अधिकार नही हैं। विवादित आराजियात पर अस्थाई निषेधाज्ञा हटाये जाने से विवादित आराजियात को खुर्द, बुर्द व रहन, बेचान करने का खतरा उत्पन्न हो गया है तथा रेस्पो0 अपना नाम राजस्व रिकार्ड मे अंकित करवाकर खुर्द बुर्द करने पर अडे हुये है। यदि रेस्पो0 उक्त कृत्य मे सफल हो गये तो अपीलांट को अपूर्णनीति क्षति कारित होगी।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में टी आई 212 में अप्रार्थी ने दिनांक 11.07.2019 को जवाब पेश किया । स्थगन समाप्त कर दिया । मूल बहस हेतु अपील दिनांक 24.07.2019 को पेश हो । दिनांक 24.07.2019 के बाद दिनांक 27.08.2019 की जो जानकारी में । धारा 151 सी पी सी का प्रार्थना पत्र लगाया जो खारिज कर दिया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि इनके खिलाफ एक तरफा जवाब पेश करने तक या टी आई तक । इनके धारा 151 सी पी सी का कोई जवाब हमने नहीं दिया न हमें मालुम न ही रिसीवड है । अतः अपील खारिज की जावे ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न आदेशिका दिनांक 11.07.2019 को यह आदेश दिया गया कि प्रकरण में दिनांक 06.10.2016 में आराजी को जवाब पेश होने तक रहन बेचान नहीं करने का स्टे था अब प्रकरण में जवाब पेश हो चुका है । अतः दिनांक 06.10.2010 से जारी स्थगन जवाब पेश होने पर समाप्त किया जाता है जिसमें हम कोई त्रुटि होना नहीं पाते हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने जवाब पेश होने तक स्टे दिया था व जवाब पेश होने पर स्टेसमाप्त कर दिया जो सही है । अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.07.2019 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज 27.01.2021 दिनांक को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सत्यमेव जयते कोटा